**06.06.2026**

अभिलेख में आज तिथि नियत होने के कारण अभिलेख मेरे समक्ष प्रस्तुत हुआ। परिवादी की कोई पैरवी नही है। अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि यह आपराधिक परिवाद दिनांक 18.07.2025 को दाखिल किया गया था। अभिलेख के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि इस मामले में परिवादिनी ने अपने सशपथ बयान (S.A.) के अतिरिक्त दो जांच साक्षियों टिंको देवी एवं भोला दास का साक्ष्य करवाया है।

परिवाद पत्र के अनुसार परिवादी बचन दास का मामला साररूप से इस प्रकार है कि परिवादी ने वर्ष 2021 में महिन्द्रा शो–रूम में पीकअप वैन माल ढोने वाला गाड़ी खरीदने की इच्छा जाहिर की एवं दोनों अभियुक्तो ने एक्सिस बैंक के चेकों का बण्डल पर हस्ताक्षर करवाकर ले लिया है। उसने पीकअप वैन का कर्ज चुका दिया तब वह चेक वापस मांगने गया तो तरह–तरह का बहाना बनाकर बोला कि शरद कुमार पटना गया है, आने के बाद बचे चेक वापस कर देगें। वह एवं उसके पिता गवाहन के समक्ष चेक का मांग किये तो अभियुक्त शरद कुमार झा एवं शिवकान्त पाण्डेय दोनों मिलकर साला, हरिजन, चमार, अछूत जात कहकर लात–मुक्का से मारकर बूरी तरह जख्मी कर दिया। इस आशय का मुदका देवघर न्यायालय में दोनों अभियुक्तों के खिलाफ दायर किया। दिनांक 14.07.2025 को बयान देने देवघर न्यायालय पहुंचे कर सुनवायी हेतु निकले तो दोनों अभियुक्तो ने परिवादी के साथ साला, चमार, नीच, साले तुमको डढ़वा नही मे गाड़ देगे। दिनांक 15.07.2025 सुबह करीब 8.00 बजे अभियुक्त शिवकांन्त पाण्डेय एवं शरद कुमार के अलावा 4–5 अज्ञात व्यक्ति घेर लिये एवं उसके पिता भोला दास एवं परिवादी के दादी को बुरी तरह से पिस्तौल का भय दिखाकर लात–मुक्का जूता से बूरी तरह से मारपीट कर जख्मी कर दिया। हमला पर उसकी पत्नी एवं पिता आये तो सभी अभियुक्तगण लप्पड़–थप्पड़ से मारपीट किये एवं दोनों अभियुक्त ने गलत नियत से खुशी कुमारी का साड़ी खीच लिया एवं ब्लाउज फाड़ कर अर्द्धनग्न कर दिया। दोनों अभियुक्त ने बक्सा तोड़कर 15 हजार निकाल लिया एवं उसको रोड़ पर घ ासीटकर ले जाकर मारपीट करने लगा।

यहां उल्लेखनीय है कि परिवादी ने अपने सशपथ बयान (S.A.) के अतिरिक्त दो जांच साक्षियों टिंको देवी एवं भोला दास का साक्ष्य करवाया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अभियुक्त शरद कुमार ने परिवाद पत्र (Complaint) के जवाब में लिखित रूप से कथन किया है

कि परिवाद पत्र मनगढ़त एवं झूठा है। अभियुक्त को देवघर न्यायालय में बचन दास के द्वारा दायर किसी मुकदमे की जानकारी नही हे। परिवादी एवं अन्य अभियुक्त की मुलाकात दिनांक 14.7.2025 एवं 15.07.2025 को तथाकथित समय पर कभी भी नही हुयी। उपरोक्त घटना की तिथि को आवेदक दिल्ली मे ट्रेन से यात्रा कर रहा था तथा शेष अन्य अभियुक्त शिवाकान्त पाण्डेय देवघर में थे। परिवादी ने अपने सशपथ बयान मे न्यायालय द्वारा पूछे जाने पर कथन किया है कि **उसने अभियुक्तो पर दो मुकदमा किया है। एक देवघर कोर्ट में एवं दूसरा जमुई कोर्ट में। अभियुक्तों ने उस पर एन0आई0ए0 एक्ट के अंतर्गत केस किया था, जिस पर उसे अपने कागजातों के आधार पर जमानत मिली है। जमानत का कागज दाखिल करेगा। परिवादी की ओर से जमानत का कोई कागज दाखिल नही किया गया।** जांच साक्षी संख्या 1 ने न्यायालय द्वारा पूछे जाने पर कथन किया हैं कि **बच्चन दास उसका लड़का है और उसने यह झूठा मुकदमा किया है। अभियुक्तों ने उसके पुत्र पर मुकदमा किया है। उसके लड़के बच्चन दास ने पीकअप गाड़ी देवघर चोला लोन से लिया था। लोन की अदयागी का सर्टिफिकेट देगी।** मेरे विचार से उपरोक्त यह जांच साक्ष्य के आधार पर यह आपराधिक परिवाद दुर्भावना युक्त प्रतीत होता है। मेरे परिवादी की मां कहती है कि उसके लड़के बच्चन दास ने यह झूठा केस किया है। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि मामले में परिवादी ने स्वयं अपने सशपथ बयान एवं अपने माता–पिता के अतिरिक्त किसी अन्य साक्षी का साक्ष्य नहीं करवाया है। साक्षियों के साक्ष्य एवं परिवाद पत्र में दर्ज तथ्यों में समरूपता नहीं है। अतः मेरे विचार से मामले में ऐसा कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है, जिसके आधार पर यह माना जा सके कि अभियुक्तों के विरूद्ध किसी अपराध के करने का प्रथम दृष्टया मामला बनता है। अतः यह आपराधिक परिवाद **अस्वीकृत (Reject)** किया जाता है।

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम